

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग,
आई.टी. बिल्डिंग, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।

क्रमांक :-एफ.2(7047)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/16/ 01577/2018

जयपुर, दिनांक 02/07/2018

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राजस्थान कम्प्युटर अधिनस्थ सेवा के विभिन्न विभागों में कार्यरत/पदस्थापित सूचना सहायकों को निम्नलिखित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है:-

क्र.स.	मेरिट न.	कार्मिक का नाम	पदस्थापित विभाग	परीक्षा का नाम
1	1080	श्रीमती मीनाक्षी यादव	कार्यालय प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय, जयपुर	• RSMSSB, Junior Instructor (COPA)
2	370	श्री लक्ष्मण सिंह चौहान	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर	• RPSC, RAS/RTS Exam-2018 • RPSC, S.I. Exam & ASO Exam-2018 • RPSC, ACF & Forest Range Officer Exam-2018 • RPSC, Vice Principal/Superintendent I.T.I Exam & Group Instructor • RSMSSB, Industry Extension Officer & Industry Inspector
3	1978	श्री महेश कुमार यादव	कार्यालय एनालिस्ट-कम -प्रोग्रामर (उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, ब्लॉक-कोटकासिम, अलवर	• RPSC, RAS/RTS Exam-2018 • RSMSSB, Industry Extension Officer, Industry Inspector & Supervisor (Women Empowerment) • RSMSSB, Junior Instructor (Electronics Mechanic)
4	1392	श्रीमती/सुश्री महिमा गौतम	प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा	• RPSC, RAS/RTS Exam-2018
5	2412	श्री मोहम्मद हसीब	कार्यालय एनालिस्ट-कम -प्रोग्रामर (उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, ब्लॉक-बांरा, बांरा	• RPSC, Vice Principal/Superintendent I.T.I Exam & Group Instructor
6	1153	श्री महावीर प्रसाद सुमन	कार्यालय एनालिस्ट-कम -प्रोग्रामर (उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, ब्लॉक-सुल्तानपुर, कोटा	• RSMSSB, Junior Instructor (COPA)
7	1639	श्री मुकेश कुमार गिला	कार्यालय सहायक अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, चुरु	• RPSC, RAS/RTS Exam-2018 • RPSC, Vice Principal/Superintendent I.T.I Exam • RSMSSB, Industry Extension Officer & Industry Inspector Exam-2018
8	660	श्री मनीष कुमार सिंघल	खण्ड मुख्या चिकित्सा अधिकारी, भुसावर, भरतपुर	• RSMSSB, Computer Instructor (COPA) • RPSC, Vice Principal/Superintendent I.T.I Exam • UPSC, Lecturer (C.E.)
9	866	श्री लोकेश कुमार	खण्ड मुख्या चिकित्सा अधिकारी, कुम्हेर, भरतपुर	• RSMSSB, Computer Instructor (COPA) • RPSC, Vice Principal/Superintendent I.T.I Exam
10	1998	मनीषा झालाणी	कार्यालय प्रोग्राम मोनिटरिंग सैल, शासन सचिवालय, जयपुर	• RPSC, RAS/RTS Exam-2018 • RPSC, ACF & Forest Range Officer Grade-I Exam-2018
11	4132	श्री मनोज कुमार मीणा	कार्यालय अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, जोधपुर	• RPSC, RAS/RTS Exam-2018

P

contd - - -

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग,
आई.टी. बिल्डिंग, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।

12	2206	श्रीमती मुनेश	कार्यालय संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा प्रा0 नि0 विभाग, चूरु	• RSMSSB, Tax Assistant Exam-2018
13	1855	श्री महेन्द्र सिंह	कार्यालय एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, ब्लॉक- डीग, भरतपुर	• RSMSSB, Librarian Grade-III
14	2651	श्रीमती मधुर सिंह	कार्यालय एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, ब्लॉक- निम्बाहेडा, चित्तौड़गढ़	• RPSC, RAS/RTS Exam-2018
15	564	श्री मनीष छीपा	मुख्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर	• RSMSSB, Junior Instructor (COPA)
16	3079	सुश्री मीनाक्षी बोहरा	कार्यालय एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, बीकानेर	• SSC CGL Exam-2018 • RSMSSB, Women Supervisor (Women Empowerment)
17	3351	श्री मनीष वर्मा	कार्यालय एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, ब्लॉक- राजगढ़, अलवर	• RPSC, RAS/RTS Exam-2018
18	W-2157	श्री मनोज कुमार वर्मा	कार्यालय एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पं.सं.-धनाउ, बाडमेर	• RSMSSB, Industries Extension Officer & Tax Assistant • RPSC, RAS/RTS Exam-2018
19	1545	श्री मोहित कुमार जैन	कार्यालय एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पं.सं.- टिब्बी, हनुमानगढ़	• RPSC, Vice Principal/Superintendent I.T.I Exam • RSMSSB, Junior Instructor (COPA)
20	3706	श्री महेन्द्र कुमार राठौड़	कार्यालय एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, ब्लॉक-समदरी, बाडमेर	• RPSC RAS/RTS Exam-2018 • RPSC, Sub Inspector Exam
21	1606	श्री महेन्द्र राजपुरोहित	राजकीय सैटेलाइट विकित्सालय मण्डोर संलग्न विकित्सालय समूह, डॉ. एस. एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	• RPSC, ACF & Forest Range Officer Grade-I Exam-2018 • RSMSSB, Industries Extension Officer Exam-2018
22	2580	श्री मुबारिक हुसैन मणियार	कार्यालय जिला कलक्टर, झालावाड	• RRVUNL, Junior Accountant (AVVN)

P

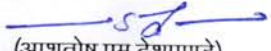
Contd. -

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग,
आई.टी. बिल्डिंग, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।

23	772	श्री मनोज कुमार	कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र, सिरोंही	• RPSC RAS/RTS Exam-2018 • RPSC, ACF & Forest Range Officer Grade-I Exam-2018 • RSMSSB, Industries Extension Officer Exam-2018 • RSMSSB, Junior Instructor (COPA)
----	-----	-----------------	---------------------------------------	--

उक्त प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति उक्त सूचना सहायकों को राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन प्रदान की जाती है:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।


(आशुतोष.एम.देशपाण्डे)
तकनीकी निदेशक एवं संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष.....।
2. संबंधित कर्मचारी.....।
3. निजी/रक्षित पत्रावली।
- ✓ 4. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड हेतु।


तकनीकी निदेशक एवं संयुक्त सचिव

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक:- एफ.2(6358) / डी.ओ.आई. टी./संस्था/ 14/01516/2018 जयपुर, दिनांक 26/06/2018

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री अश्विनी पुरोहित, सूचना सहायक ने प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है। श्री अश्विनी पुरोहित, सूचना सहायक आर.ए.एस./आर.टी.एस. प्रतियोगी परीक्षा-2018, सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा-2018, संगणक प्रतियोगी परीक्षा-2018 एवं कनिष्ठ सहायक प्रतियोगी परीक्षा-2018 की प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अधधीन प्रदान की जाती है:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
12. उक्त प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु दी जा रही स्वीकृति माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित निम्नलिखित याचिकाओं 6071/2015, 7875/2015, 5976/2015 एवं 5209/2016 के निर्णय के अधधीन रहेगी।

/

(आशुतोष एम.देशपाण्डे)

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है।

1. उप-प्रबंधक, कार्यालय राजस्थान स्टेट शुगर मिल्स लि., खारा, बीकानेर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर को अपलोड करने हेतु।
3. श्री अश्विनी पुरोहित, सूचना सहायक, कार्यालय राजस्थान स्टेट शुगर मिल्स लि., खारा, बीकानेर।
4. निजी/रक्षित पत्रावली।

/

तकनीकी निदेशक एवं संयुक्त सचिव